भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 168**

<u>दिनांक 3 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार

*168. श्री गिरिधारी यादवः
श्रीमती रमा देवीः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत तथा मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा वांछित स्तर तक नहीं है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन एवं सर्वेक्षण किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढाने हेतु विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा उनसे क्या सफलता हासिल हुई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

<u>दिनांक 3 जुलाई 2019 को " भारत एवं मध्य एशिया के बीच व्यापार " के संबंध में लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 168 के भाग क से ड. के संदर्भ में उत्तरार्थ विवरण</u>

(क) और (ख) मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का विवरण निम्नानुसार है : -

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

क्र. सं.	देश	2017-18			2018-19		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	कजाकिस्तान	125.37	907.43	1032.81	143.13	708.78	851.91
2	किर्गीजस्तान	28.59	30.94	59.53	30.02	2.59	32.6
3	ताजिकिस्तान	23.94	50.29	74.24	22.28	4.24	26.52
4	तुर्कमेनिस्तान	54.31	26.15	80.46	45.64	20.63	66.27
5	उज़्बेकिस्तान	132.72	101.67	234.39	201.41	126.73	328.14
	कुल	**364.93**	**1116.49**	**1481.42**	**442.48**	**862.97**	**1305.45**

मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाले कुछ कारकों में इन देशों के साथ भाषा अवरोध, उत्पादों के पंजीकरण की कठोर प्रक्रिया, विवाद निपटान में समस्याएं, कमज़ोर बैंकिग एवं वित्तीय प्रणाली, कम पहुँच एवं खराब कनेक्टिविटी तथा वीज़ा संबंधी मामले शामिल हैं ।

भारत एवं मध्य एशियाई देशों के बीच अंतर-सरकार आयोगों (आईजीसी) /संयुक्त आयोग की बैठकों और संयुक्त कार्यकारी समूहों (जेडब्ल्यूजी) के मौजूदा संस्थागत तंत्र के द्वारा व्यापार संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान करके व्यापार बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) जी हाँ।

मध्य एशियाई देश नामत: कज़ाकिस्तान एवं किर्गीजस्तान यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) के सदस्य हैं । ईएईयू, जिसमें रूस, अर्मेनिया, बेलारस अन्य तीन देश शामिल हैं, के साथ मुक्त व्यापार करार की सम्भावना का पता लगाने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है । संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन में पाया गया है कि व्यापार करार के द्वारा कजाकिस्तान एवं किर्गीजस्तान के द्विपक्षीय व्यापार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की सम्भावना है ।

इसके अतिरिक्त, भारत एवं उजबेकिस्तान के बीच एक अधिमान्य व्यापार करार की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ करने हेतु एक

संयुक्त वक्तव्य साझा किया गया है । द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित सम्भाव्यता का निर्धारण संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के पूरा होने के बाद ही किया जाएगा ।

(ड.) अंतर - सरकारी आयोग (आईजीसी), संयुक्त आयोग बैठकें (जेसीएम) और संयुक्त कार्यकारी समूहों (जेडब्ल्यूजी) के रूप में मौजूदा संस्थागत तंत्र हैं, जिनमें द्विपक्षीय व्यापार संबंधी मुद्दों को चर्चा के लिए उठाया जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं वर्तमान वर्ष में 3 आईजीसी, 2 जेडब्ल्यूजी और 3 जेसीएम की बैठकों का आयोजन किया गया है । मंत्रालय मध्य एशियाई क्षेत्र में निर्यात में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों की पहचान करने एवं समाधान करने के लिए निर्यात संवर्धन संबंधी मामलों को निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार निकायों, वस्तु बोर्डों एवं भारतीय दूतावासों के समक्ष उठाते हैं

सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के इन प्रयासों के कारण मध्य एशियाई देशों के साथ भारत में वर्ष 2017 -18 और 2018 -19 में पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में कुल पण्य वस्तु निर्यात में वृद्धि हुई है ।

******